न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 23/2021 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांक–14.06.2021

1. निर्मल पुत्र मांगीलाल जाति रेगर आयु वयस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा ।
2. भैरूलाल पुत्र मांगीलाल रेगर आयु वयस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा ।
3. मदनलाल पुत्र मांगीलाल रेगर आयु वयस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा
4. राजमल पुत्र मांगीलाल रेगर आयु वयस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा। शांतिलाल पुत्र
5. मांगीलाल जी रेगर आयु वयस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता हीरालाल जी आंजना आयु वयस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा।
2. नेपाल पिता मन्नालाल जी आंजना उम्र वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा।
3. विजेश पिता मन्नालाल जी आंजना उम्र वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा।
4. छगनलाल पिता गंगाराम जी आंजना उम्र वयस्क निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा रानीखेड़ा प0ह0 रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 351 की आराजी नं0 571 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी नं0 572 रकबा 0.1500 हैक्टैयर, आराजी नं0 573 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं0 575 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा रानीखेड़ा प0ह0 रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 351 की आराजी नं0 571 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी नं0 572 रकबा 0.1500 हैक्टैयर, आराजी नं0 573 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं0 575 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official